

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धौलाखेड़ा वि०ख० हल्द्वानी,
तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न है

हल्द्वानी में जनपद नैनीताल के कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 10 हे० आरक्षित वन भूमि, -X- हे० वन पंचायत भूमि, -X- हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 10 हे० वन भूमि का कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के विषय में ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी द्वारा दिनांक 27-03-19 का सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठ सभी प्रावधानों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उक्त के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि का कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु निम्न कामों पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा रहा एवं सही है।

50/1
प्रमाणित किया जा रहा
हल्द्वानी, नैनीताल
दि. 27-03-19

50/1
प्रमाणित किया जा रहा
हल्द्वानी, नैनीताल
दि. 27-03-19

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धौलाखेड़ा वि०ख० हल्द्वानी,
तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु (10 हे० आरक्षित वन भूमि, -X- हे० सिविल सोयम भूमि, -X- हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 10 हे० वन भूमि का कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07-08-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/र
07-08-14
ग्राम सभा/सचिव
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ह०/-
07-08-14
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 07.08.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी जिला नैनीताल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री हरदत्त सिंह रावत पुत्र श्री रामनाथ सिंह	[Signature]
2.	श्री रामनाथ रावत पुत्र श्री लालचरण रावत	[Signature]
3.	श्री प्रताप नन्द सिंह पुत्र श्री तेज सिंह	[Signature]
4.	श्री उद्य सिंह श्री पुत्र लालचरण सिंह	[Signature]
5.	श्री विरेश श्री पुत्र श्री लाल सिंह श्री पुत्र	[Signature]
6.	श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
7.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
8.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
9.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
10.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
11.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]
12.	श्रीमती देवी देवी पुत्री श्री प्रकाश सिंह	[Signature]

11/8/14

प्रमुख अधिकारी

दिनांक 07-08-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा, वि० ख० हल्द्वानी जिला नैनीताल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री हरक सिंह रावत पुत्र श्री भगवान सिंह	
2.	श्री संजय सोनकर पुत्र श्री ललित सोनकर	
3.	श्री प्रकाश चन्द सिंह पुत्र श्री तेज सिंह	
4.	श्री उदय सिंह नेगी पुत्र श्री उंगार सिंह	
5.	श्री तिरेंद्र नेगी पुत्र श्री लीम सिंह नेगी	
6.	श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी श्री प्रशान्त सिंह	
7.	श्रीमती रेखा बिष्ट पत्नी श्री मोहन सिंह	
8.	श्रीमती हेमा तिवारी पत्नी श्री के० पी० तिवारी	
9.	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री विश्व लाल	
10.	श्रीमती वीक्षा रावत पत्नी श्री राजीव रावत	
11.	श्रीमती सीता चण्डा पत्नी श्री चंदन सिंह	
12.	श्री विक्रम सिंह बिष्ट पुत्र श्री ल० मोहन सिंह	

श्री हरवीर सिंह, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी एवं जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में ग्रामवासी सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हरवीर सिंह, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी
- 2- श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तथाई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी
- 3- श्री के० आर टन्डर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी
- 4- श्री तारा सिंह नेगी, बी०डी०सी० क्षेत्र तल्ली हल्द्वानी

हो/-
प्रधान,
ग्राम पंचायत धौलाखेड़ा
विकास खण्ड ग्राम प्रधान (नैनीताल)

उप प्रधान,
विकास खण्ड, हल्द्वानी

हल्द्वानी उप प्रधान,
हो/- वन प्रभाग, हल्द्वानी

हल्द्वानी उप प्रधान,
हो/- वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

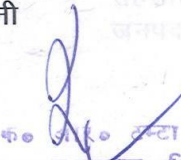
उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी (नैनीताल)

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के पास वन विभाग के प्लॉट संख्या 150 में 10 हे० आरक्षित वन भूमि, -X- हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि -X- हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 10 हे० वन भूमि) का प्रस्ताव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 30.08.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरवीर सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|---|------------|
| 1- श्री हरवीर सिंह, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी | अध्यक्ष |
| 2- श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी | सदस्य |
| तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी | |
| 3- श्री के० आर टम्टा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री तारा सिंह नेगी, बी०डी०सी० क्षेत्र तल्ली हल्द्वानी | सदस्य |


ज्येष्ठ उप प्रमुख
विकास खण्ड, हल्द्वानी
हल्द्वानी उप प्रभाग
के० के० वन विभाग, हल्द्वानी


क० आ० टम्टा
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
हल्द्वानी


उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना हेतु 10 हे० वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 10 हे० वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- हल्द्वानी,
जनपद- नैनीताल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- हल्द्वानी,
जनपद- नैनीताल।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 10 हे0 वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

राजस्व विभागाध्यक्ष (मैदानी)
क्षेत्र
तहसील
2021/22

तहसीलदार
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल